प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 87/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी पताः वार्ड न. 8, कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को दिनांक 15.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/87/25/566–67 दिनांक 02.06.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/69 दिनांक 26.06.2025 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 के तहत चाही गई सूचना प्रार्थी को पूर्व में कार्यालय हाजा के पत्रांक 52 दिनांक 06.05.2025 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 2 के अंतर्गत चाही गई सूचना शून्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक 52 दिनांक 06.05.2025 से अपीलार्थी को जवाब/सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना शून्य होने से सूचना नहीं उपलब्ध करवाई गई। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर